HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4699/2024
CNR: RJHC020957562024 | URN: CMA / 7685U / 2024

1. Smt. Sugan Kanwar W/o Shri Mohar Singh, Aged About 53 Years,
2. Mohar Singh S/o Shri Chotu Singh, Aged About 61 Years,

Both R/o Dhani Toliya Wali, Tan - Kola Ka Nangal, Post - Ghasipura, Teh. - Neem Ka Thana, Dist. - Sikar (Rajasthan.)

----Appellants (Claimants)

Versus

1. Tata AIG General Insurance Company Limited, Through Regional Manager, Regional Office No. F-3, Shriji Tower, C-99, First Floor, Subhash Marg, Jaipur (Raj.) (Insurer Of Vehicle Motorcycle No. RJ- 32-SH-4849).
2. Govind Singh S/o Shri Dheer Singh, R/o Rajpooto Ka Mohalla, Pragpura, Teh. - Paota, Dist.- Jaipur (Raj.) (Owner Of Vehicle Motorcycle No. RJ-32-SH-4849).
3. Sarjeet S/o Shri Jagdish Prasad, R/o Ward No. 05, Yadav Colony, Town - Kotputli, Dist. - Jaipur (Raj.) (Driver Of Vehicle Motorcycle No. RJ-32-SH-4849).

----Respondents (Non Claimants)

For Appellant(s)	:	Mr. Atul Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. C.S. Jodha, Adv. (for Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

DATE OF CONCLUSION OF ARGUMENTS	**::**	**01/07/2026**
DATE OF RESERVED	**::**	**01/07/2026**
FULL/OPERATIVE PART PRONOUNCED	**::**	**FULL**
DATE OF PRONOUNCEMENT	**::**	**05/08/2026**

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण बहरोड जिला अलवर (अपर जिला न्यायाधीश क्रम–02, बहारोड़, जिला अलवर)** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा

क्लेम याचिका संख्या–49/2023 (130/2021) बउनवान श्रीमती सुगन कंवर व अन्य बनाम टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड व अन्य में पारित **निर्णय दिनांक 04.10.2024** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 07.04.2021 को मोटर वाहन दुर्घटना में **राकेश सिंह** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 3,18,26,000/– रुपये** क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त क्लेम याचिका को खारिज किया गया है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा इस आधार पर क्लेम याचिका खारिज की गई है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन विलम्ब से दर्ज करवाई गई है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर अंकित नहीं किये गये है तथा अज्ञात वाहन से दुर्घटना कारित होना लिखा गया है व दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर 26 दिन के बाद बताये गये हैं। उनका यह भी तर्क रहा है कि मामले की घटना वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे–32–एसएच–4849 (जिसे आगे 'प्रश्नगत वाहन' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के चालक की लापरवाही के कारण घटित हुई थी, जिसकी पुष्टि चक्षुदर्शी साक्षी के बयानों से भी होती है, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा मामले की घटना में प्रश्नगत वाहन की कोई लिप्तता होना नहीं मानते हुए त्रुटि कारित की गई है। उनका यह भी तर्क रहा है कि दुर्घटना के मामलों में साक्ष्य की बाहुल्यता (preponderance of evidence) के आधार पर निर्णय किया जाता है। स्वयं चक्षुदर्शी गवाह ए.डब्ल्यू–3 ने न्यायालय के समक्ष हुए बयान में सम्पूर्ण अभियोजन कहानी का समर्थन किया है। प्रत्यर्थी संख्या–2 वाहन स्वामी द्वारा धारा 133 मोटरयान अधिनियम के नोटिस में यह स्वीकार किया है कि वक्त घटना प्रश्नगत वाहन को चालक सरजीत चला रहा था

तथा वाहन चालक द्वारा भी धारा 134 मोटरयान अधिनियम के नोटिस में स्वीकार किया है कि वक्त घटना प्रश्नगत वाहन को वह स्वयं चला रहा था। प्रश्नगत वाहन चालक के विरुद्ध आरोप पत्र भी न्यायालय में पेश किया गया है, जिसमें वाहन चालक की गलती मानी गयी है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण द्वारा क्लेम याचिका खारिज कर त्रुटि कारित की गई है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण के निर्णय को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गयी। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया द्वारा न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया गया :–

- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतों **Ravi vs. Badrinarayan & Ors.** reported in **2011 (4) SCC 693; Ranjeet & Anr. vs. Abdul Kayam Neb & Anr.** reported in **2025 SCC OnLine SC 497** एवं **Sithara N.S. & Ors. etc. vs. Sai Ram General Insurance Company Limited** reported in **2025 SCC OnLine SC 2793.**
- राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत**Mahadev Prasad vs Vijay Pal @ Jagan & Anr.** reported in **III (2006) ACC 388.**
- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **K. Rajani & Ors. vs. M. Satyanarayana Goud & Anr.** reported in **2014 Supreme (AP) 1098.**

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध किया गया तथा व्यक्त किया कि विद्वान अधिकरण द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का अवलोकन कर सही रूप से निर्णय पारित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अज्ञात वाहन से दुर्घटना कारित करना बताया गया है तथा प्रश्नगत वाहन के नम्बर दुर्घटना के 26 दिन बाद बताये गये है। प्रश्नगत वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। अतः विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका को इस आधार पर खारिज किया गया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन विलम्ब से दर्ज करवाई गई है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर अंकित नहीं किये गये है तथा अज्ञात वाहन से दुर्घटना कारित होना लिखा गया है व दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर 26 दिन के बाद बताये गये हैं। प्रश्नगत वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई व प्रश्नगत वाहन को मामले की घटना में गलत रूप से लिप्त किया गया है तथा चक्षुदर्शी साक्षी का बयान संदेहास्पद रहा है।

7. जहां तक मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 07.04.2021 की बताई गई है तथा घटना की रिपोर्ट दिनांक 08.04.2021 को दर्ज करवाई गई है जो कि घटना के अगले ही दिन दर्ज करवा दी गयी है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य,** रिपोर्टेड इन **(2011) 4 एस.सी.सी. 693** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि :–

> "**20.** It is well-settled that delay in lodging FIR cannot be a ground to doubt the claimant's case. Knowing the Indian conditions as they are, we cannot expect a common man to first rush to the Police Station immediately after an accident. Human nature and family responsibilities occupy the mind of kith and kin to such an extent that they give more importance to get the victim treated rather than to rush to the Police Station. Under such circumstances, they are not expected to act mechanically with promptitude in lodging the FIR with the Police. Delay in lodging the FIR thus, cannot be the ground to deny justice to the victim. In cases of delay, the courts are required to examine the evidence with a closer scrutiny and in doing so; the contents of the FIR should also be scrutinized more carefully. If court finds that there is no indication of fabrication or it has not been concocted or

> engineered to implicate innocent persons then, even if there is a delay in lodging the FIR, the claim case cannot be dismissed merely on that ground.
>
> **21.** The purpose of lodging the FIR in such type of cases is primarily to intimate the police to initiate investigation of criminal offences. Lodging of FIR certainly proves factum of accident so that the victim is able to lodge a case for compensation but delay in doing so cannot be the main ground for rejecting the claim petition. In other words, although lodging of FIR is vital in deciding motor accident claim cases, delay in lodging the same should not be treated as fatal for such proceedings, if claimant has been able to demonstrate satisfactory and cogent reasons for it. There could be variety of reasons in genuine cases for delayed lodgment of FIR. Unless kith and kin of the victim are able to regain a certain level of tranquility of mind and are composed to lodge it, even if, there is delay, the same deserves to be condoned. In such circumstances, the authenticity of the FIR assumes much more significance than delay in lodging thereof supported by cogent reasons."

8. इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के दुर्घटना में घायल होने पर निश्चित रूप से उसका स्वयं का तथा उसके परिवारजनों व निकट रिश्तेदारों का पूरा–पूरा ध्यान घायल के इलाज पर रहता है तथा किसी भी व्यक्ति से यह परिकल्पना नहीं की जा सकती है कि वह घायल व्यक्ति को इलाज के लिए बाद में ले जाए तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने पहले जाए। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिवस विलम्ब से दर्ज करवाये जाने के तथ्य को किसी प्रकार से याचिका के लिए घातक नहीं माना जा सकता है।

9. जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रश्नगत वाहन के नम्बर अंकित नहीं किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में पत्रावली पर संलग्न गवाह ए.डब्ल्यू–3 भूपेन्द्र सिंह जो कि मामले का चक्षुदर्शी साक्षी है, के बयानों का अवलोकन किया जाए तो गवाह ने अपने बयान में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर आरजे–32–एसएच–4849 बताये हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Sithara N.S. (supra)** के मामले यह मत व्यक्त किया है कि :–

> "**16**. This Court is conscious of the settled legal position that in cases of motor vehicle accidents, the standard of proof required is that of preponderance of probabilities. It is also well settled that the absence of vehicle registration number in the FIR or complaint lodged immediately after the accident is not, by itself, fatal to the claim. An FIR is not an encyclopedia and omissions at the initial stage may not be determinative. However, the claimants must establish the specific identity of the vehicle/driver, with the caveat that the connection of the accident with the said vehicle must be established through cogent and reliable evidence."

10. इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा शिकायत में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं होने मात्र से उक्त तथ्य को किसी प्रकार से याचिका के लिए घातक नहीं माना गया है।

11. जहां तक मामले की घटना में प्रश्नगत वाहन की लिप्तता नहीं होने व उक्त प्रश्नगत वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं होने का प्रश्न है तो इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की जो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–3 दर्ज करवाई गई है, उसमें अज्ञात वाहन से दुर्घटना होना लिखा गया है, किन्तु विद्वान अधिकरण के समक्ष परीक्षित गवाह ए.डब्ल्यू–3 भूपेन्द्र सिंह जो कि मामले का चक्षुदर्शी साक्षी है, ने बयान में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर बताये हैं तथा अपने बयान में सम्पूर्ण अभियोजन कहानी का समर्थन किया है। इस प्रकार उपरोक्त गवाह की साक्ष्य से भी प्रश्नगत वाहन की लिप्तता दुर्घटना में प्रकट होती है। साथ ही दुर्घटना के संबंध में प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल को जरिये फर्द प्रदर्श–9 जब्त भी किया गया है व दुर्घटना के संबंध में प्रश्नगत वाहन के पंजीकृत स्वामी प्रत्यर्थी संख्या–2 गोविन्द सिंह को दिये गये नोटिस धारा 133 मोटरयान अधिनियम प्रदर्श–11 के जवाब में भी प्रश्नगत वाहन के पंजीकृत स्वामी द्वारा यह अंकित किया गया है कि वक्त घटना उसकी मोटरसाईकिल

नम्बर आरजे–32–एसएच–4849 को चालक सरजीत चला रहा था। इसी प्रकार प्रश्नगत वाहन के चालक प्रत्यर्थी संख्या–3 सरजीत द्वारा भी नोटिस धारा 134 मोटरयान अधिनियम के जवाब में स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि वक्त घटना प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आरजे–32–एसएच–4849 को वह स्वयं चला रहा था तथा उसके द्वारा ही दुर्घटना कारित हुई है। अपीलार्थीगण की साक्ष्य के खण्डन में प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। इस संबंध में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय **महादेव प्रसाद (उपरोक्त)** में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है कि :–

> "**6**. According to the injured himself, who is the best witness in this case, the accident had taken place as described by him. According to the reply submitted to the notice under Section 133 of the Act, the owner of the offending vehicle has admitted the factum of accident in unequivocal terms. Once such an admission is made by the owner, and once his admission was readily available before the learned Tribunal, it is rather surprising that the learned Tribunal has overlooked the documentary evidence. The statement of the claimant is further corroborated by Ex. 1, the permanent disability certificate, Ex. 3, the injury report, Ex. 4, the X-ray report. Hence, there is sufficient circumstantial evidence to corroborate the statement of the injured claimant."

12. इस प्रकार उपरोक्त निर्णय में यह निर्धारित किया गया है कि मोटरयान अधिनियम की धारा 133 के तहत नोटिस के जवाब में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के मालिक द्वारा दुर्घटना होने की बात स्पष्ट रूप से मानी गयी है। इस प्रकार जब वाहन मालिक द्वारा स्वयं के वाहन से दुर्घटना होने की बात मानी गयी है तो विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर त्रुटि कारित की गई है।

13. इसके अतिरिक्त प्रश्नगत वाहन चालक के विरुद्ध बाद अनुसंधान न्यायालय में आरोप–पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है, जिससे भी प्रश्नगत

वाहन की लिप्तता दुर्घटना में प्रकट होती है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Ranjeet & Anr. Vs. Abdul Kayam Neb & Anr.** reported in **2025 SCC OnLine SC 497** के मामले निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :–

> "**4**. It is settled in law that once a charge sheet has been filed and the driver has been held negligent, no further evidence is required to prove that the bus was being negligently driven by the bus driver. Even if the eye-witnesses are not examined, that will not be fatal to prove the death of the deceased due to negligence of the bus driver.
> **5**. In view of the aforesaid facts, we are of the opinion that the Tribunal and the High Court both manifestly erred in law in refusing to grant any compensation to the claimants.
> **6**. In the facts and circumstances of the case, we would have remitted the matter to the Tribunal for determination of the compensation to be payable to the claimants."

14. इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायायल द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Ranjeet (supra)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए हस्तगत मामले में प्रश्नगत वाहन चालक के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मामले की घटना में प्रश्नगत वाहन की संलिप्तता प्रकट होती है। किन्तु यदि वास्तव में रेस्पोंडेंट का यह मत था कि प्रश्नगत वाहन से कोई घटना नहीं हुई तथा इस मामले में प्रश्नगत वाहन को गलत रूप से लिप्त किया गया है तो इस संबंध में बीमा कम्पनी/प्रत्यर्थी घटना की जांच कर सकते थे तथा इस आशय की साक्ष्य विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे कि पुलिस द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर चार्जशीट पेश की गई है, किन्तु रेस्पोंडेंट/बीमा कम्पनी की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय का ध्यान आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **K. Rajani (supra)** की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि :–

> "when the insurance company came to know that the police investigation is false, they must also challenge the charge sheet in appropriate proceedings. If at all the findings of the Police are found to be incorrect, it is for the insurance company to produce some evidence to show that the contents of the charge sheet are false."

15. उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह प्रतीत होता है कि विद्वान अधिकरण द्वारा पत्रावली पर आई साक्ष्य का सही प्रकार से विवेचन नहीं किया गया तथा पत्रावली पर सम्पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद उस पर विचार नहीं किया जाकर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

16. इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन अनुसार अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है व विद्वान अधिकरण का आक्षेपित निर्णय दिनांक 04.10.2024 अपास्त किया जाता है तथा विद्वान अधिकरण को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) की जाती है कि विद्वान अधिकरण, याचीगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका का निस्तारण इस निर्णय में किये गये विवेचन व न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः उचित एवं न्यायसंगत निर्णय पारित करें।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी पक्ष को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया जावे।

18. उभय पक्षकारान को दिनांक 14.09.2026 को विद्वान अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

19. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

20. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

21. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ/----